

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राज्य सभा
अतारंकित प्रश्न संख्या 3451
जिसका उत्तर 01 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है।
11 चैत्र, 1944 (शक)

आधार के बायोमीट्रिक प्रमाणन की विफलता

3451. श्री रिपुन बोरा:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को आधार प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं से निरंतर सामने आई त्रुटियों के चलते बायोमीट्रिक प्रमाणन की विफलता के विषय में जानकारी है;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने युआईडीएआई द्वारा यथासूचित आधार की 12 प्रतिशत प्रमाणीकरण विफलता की समस्या का निराकरण करने हेतु कोई कदम उठाए है; और
- (ग) ऐसे लोगों के लिए वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर क्या कार्रवाई की गई है जो आधार को पैन कार्ड से नहीं जोड़ पाए/मतदाता कार्ड से अद्यतन नहीं कर पाए?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क): जी, हां। बायोमेट्रिक तंत्र के माध्यम से पहचान प्रमाणीकरण की विफलता के लिए विभिन्न कारकों जैसे कि उंगलियों के निशान खराब हो जाने के कारण बायोमेट्रिक का गलत इस्तेमाल, डिवाइस पर उंगली का ठीक से न होना, नेटवर्क की विफलता से संबंधित त्रुटियां, आदि को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

(ख): बायोमेट्रिक के माध्यम से पहचान प्रमाणीकरण की सफलता दर बढ़ाने के लिए यूआईडीएआई अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रमाणीकरण ऑपरेटरों को लगातार प्रशिक्षण प्रदान करता है और वृद्ध व्यक्तियों के लिए आईरिस उपकरणों के माध्यम से पहचान प्रमाणीकरण के उपयोग को प्रोत्साहित करता है और जिनकी उंगलियों के निशान खराब हो जाते हैं।

(ग): दिनांक 17.09.2021 को वित्त मंत्रालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी अधिसूचना सं. एस.ओ. 3814(ई) के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 139कक (2) के तहत आधार की सूचना के लिए विनिर्दिष्ट तिथि 31.03.2022 तक बढ़ाई गई है।

साथ ही दिनांक 30.12.2021 को कानून और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग द्वारा अधिसूचित चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 के अनुसार, अधिसूचना की धारा 23(6) में प्रावधान किया गया है कि-

"(6) मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए किसी भी आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा और मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्टि को ऐसे पर्याप्त कारण से आधार संख्या प्रस्तुत करने या सूचित करने में असमर्थता के लिए हटाया जाएगा जो निर्धारित किया जा सकता है:

बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे अन्य वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है जो निर्धारित किए जा सकते हैं।"
